

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3674

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अंतरराज्यीय सीमाओं पर जाँच उपकरणों की स्थापना

3674. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्कैनर और आधुनिक कैमरे जैसे आधुनिक जांच उपकरण स्थापित करके मादक पदार्थों की तस्करी, गाय तस्करी, मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उपकरणों की अनिवार्य स्थापना के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी करने का है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं एवं राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपनी-अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसे विधि के अनुसार तत्काल दंडित किया जाए।
